

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ अजमेर में जयप्रकाश चारण, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर, परिवादी के संस्थान का अनुबंध पत्र जारी करने व बिल पास करने की ऐवज में तीन लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।

जयपुर। दिनांक 03 सितम्बर, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जयप्रकाश चारण संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को तीन लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी एस.आई. डब्ल्यू. जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के संस्थान का अनुबंध पत्र जारी करने व बिल पास करने की ऐवज में तीन लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक—प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री झाबरमल यादव एसीबी चौकी एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर के निर्देशन में उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र पंचोली के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी जयप्रकाश चारण, को परिवादी से रिश्वत राशि तीन लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।